ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स

प्रधान कार्यालय – हर्ष भवन, ई–ब्लॉक, कनॉट प्लेस,
नई दिल्ली – 110001
कॉरपोरेट कार्यालय : प्लॉट नं0 5, सैक्टर–32, इंस्टीट्यूशनल एरिया,
गुड़गांव – 122001

सूचना

ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स (शेयर और बैठक) विनियम 1998 के विनियम 57 के अनुसरण में एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि निम्नलिखित कारोबार के लेनदेन हेतु ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स के शेयरधारकों की असाधारण सामान्य बैठक दिनांक 03 दिसम्बर, 2013, मंगलवार को प्रातः 10.00 बजे, पी.एच.डी. चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इंडस्ट्री, पी.एच.डी. हाउस, 4/2, सिरी इंस्टीट्यूशनल एरिया, अगस्त क्रांति मार्ग, नई दिल्ली – 110016 में आयोजित की जाएगी :

निम्नलिखित पर एक विशेष संकल्प के रूप में विचार करना और उचित समझे जाने पर आशोधन सहित या रहित पारित करनाः–

"संकल्प किया जाता है कि बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अभिग्रहण एवं अंतरण) अधिनियम, 1980, राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन एवं विविध प्रावधान) योजना, 1980, स्टॉक एक्सचेंज के साथ किए गए सूचीकरण करार जहां बैंक के ईक्विटी शेयर सूचीबद्ध हैं (उसमें किसी आशोधन या पुनराधिनियमन सहित), के प्रावधानों के अनुसरण में और ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स (शेयर और बैठक) विनियम, 1998 के प्रावधानों तथा भारत सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड या संबंधित अन्य किसी प्राधिकारी द्वारा समय–समय पर निर्धारित अन्य नियम/अधिसूचना/परिपत्र/विनियम/मार्गनिर्देश, यदि कोई हो तो, के अनुसार लागू हद तक और ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स (बैंक) के निदेशक मंडल (यत्पश्चात् "बोर्ड" कहा गया है, जिस शब्द में बोर्ड द्वारा इस विनियम द्वारा प्रदत्त अधिकारों सहित उसके अधिकारों का प्रयोग करने हेतु गठित/गठित की जाने वाली समिति (यॉं) शामिल समझा जाएगा, अनुमोदन, सहमति, अनुमति और मंजूरी, के अधीन, एतद्द्वारा बैंक की ओर से प्रति ईक्विटी शेयर रु. 80,87,561 (रुपए 185.47 मात्र) के प्रीमियम पर रु.10/– (रुपए दस मात्र) के बैंक के (एक सौ पचासी रूपए सैतालीस पैसे मात्र) तक की ईक्विटी शेयर, जिनकी कुल राशि रु. 150,00,00,000/– (रुपए सौ और पचास करोड़ मात्र) तक है, समय–समय पर संशोधित भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (पूंजी निर्गम और प्रकटन अपेक्षाएं) विनियम 2009, ("सेबी **आईसीडीआर विनियम")** के अध्याय VII के अनुसार बैंक के प्रवर्तकों को अर्थात् भारत सरकार (भारत के राष्ट्रपति) को अधिमान शेयर के रूप में पेशकश करने, जारी करने और आबंटित करने का प्राधिकार दिया जाता है।

यह भी संकल्प किया जाता है कि सेबी, आईसीडीआर विनियमों के अनुसार निर्गम मूल्य तय करने की ससंगत तिथि 01 नवम्बर, 2013 है।

'यह भी संकल्प किया जाता है कि मंडल को इश्यू, आबंटन तथा मंडल द्वारा सहमत सूचीकरण को अपना अनुमोदन, सहमति, अनुमति तथा स्वीकृति प्रदान करते समय भारत सरकार/भा.रि.बैं./सेबी/स्टॉक एक्सचेंज जहां बैंक के शेयर सूचीबद्ध हैं या किसी अन्य उपयुक्त प्राधिकारियों द्वारा अपेक्षित या अधिरोपित प्रस्ताव में किसी संशोधन को स्वीकार करने की शक्ति तथा प्राधिकार होगा ।'

"यह भी संकल्प किया जाता है कि इस संकल्प के अनुसरण में जारी अधिमान आधार पर और आबंटित किए जानेवाले नए ईक्विटी शेयर डीमैट रूप में होंगे और सेबी आईसीडीआर विनियम के अध्याय VII के अंतर्गत अपेक्षित अनुसार निश्चित अवरूद्धता अवधि (लॉक इन) अपेक्षाओं के अधीन होंगे और बैंक के वर्तमान ईक्विटी शेयरों के साथ सभी दृष्टियों से (लाभांश सहित) सममूल्य होंगे और उन स्टॉक एक्सचेंजों में सूचीबद्ध किए जाएंगे जहां बैंक के ईक्विटी शेयर सूचीबद्ध हैं ।"

'यह भी संकल्प किया जाता है कि इस संकल्प को प्रभावी बनाने के लिए मंडल को ईक्विटी शेयरों के मामले में आए किसी प्रश्न, कठिनाई या संदेह को निपटाने के लिए वह सभी कार्य, प्रलेख, मामले तथा आवश्यक समझे जाने वाले अन्य कार्यों को करने के लिए प्राधिकृत किया जाता है जिसे वह आवश्यक, उपयुक्त तथा वांछनीय मानते हैं तथा इसके अतिरिक्त शेयर धारकों के परामर्श एवं अनुमोदन के बिना इस प्रकार के सभी कार्यों, प्रलेखों, मामलों तथा अन्य कार्यों को करने तथा सभी प्रलेखों एवं लिखत को अंतिम रूप देने व निष्पादित करने के लिए प्राधिकृत किया जाता है, जिन्हें उनके विवेकानुसार अनिवार्य, वांछनीय या त्वरित समझा जाता है तथा यह माना जाएगा कि इस संकल्प के माध्यम से शेयर धारकों ने उन्हें प्राधिकृत करने हेतु अनुमोदन प्रदान कर दिया है ।'

"यह भी संकल्प किया जाता है कि बैंक के निदेशक मंडल को पूर्वोक्त संकल्प को प्रभावी करने के लिए बैंक के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक या उनकी अनुपस्थिति में कार्यकारी निदेशक (कों) अपने सभी या किसी अधिकार को प्रत्यायोजित करने का प्राधिकार होगा ।"

निदेशक मण्डल के निमित्त
कृते ओरियंटल बैंक ऑफ कॉमर्स

स्थान : गुड़गांव
दिनांक : 30.10.2013

एस. एल. बन्सल
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

टिप्पणियाँ

1. **व्याख्यात्मक कथन**

बैठक की कार्यवाही के संबंध में भौतिक तथ्यों का व्याख्यात्मक कथन इसके साथ संलग्न है ।

2. **मताधिकार**

अधिनियम की धारा 3 की उप–धारा (2ई) के अनुसार केन्द्र सरकार के अलावा, बैंक का कोई भी शेयरधारक बैंक के सभी शेयरधारकों के कुल मताधिकार के एक प्रतिशत से अधिक उसके द्वारा धारित शेयरों के संबंध में मताधिकार हेतु पात्र नहीं होगा ।

उपरोक्त के अध्यधीन, शेयरधारक के रूप में पंजीकृत प्रत्येक शेयरधारक को हस्त प्रदर्शन पर एक मत मिलेगा और मतदान के मामले में उसके द्वारा धारित हरेक शेयर हेतु एक मत होगा परंतु केन्द्र सरकार के अलावा शेयरधारक कुल मताधिकार के अधिकतम 10% का ही प्रयोग करने का पात्र होगा ।

ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स (शेयर और बैठक) विनियम, 1998 के विनियम 10 के अनुसार यदि कोई शेयर दो या अधिक व्यक्तियों के नामों में है तो रजिस्टर में जिसका नाम पहले है, मतदान के संबंध में, उसको एकमात्र शेयरधारक माना जाएगा ।

3. **प्रॉक्सी की नियुक्ति**

जिस शेयरधारकों को बैठक में भाग लेने का अधिकार है, उसे अपने स्थान पर बैठक में भाग लेने के लिए एक प्रॉक्सी नियुक्त करने का भी अधिकार है तथा ऐसे प्रॉक्सी का ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स का शेयरधारक होना आवश्यक नहीं है ।

तथापि, इस प्रकार नियुक्त प्रॉक्सी को बैठक में बोलने का कोई अधिकार नहीं होगा ।

प्रॉक्सी के रूप में किसी ऐसे व्यक्ति की नियुक्ति नहीं की जाएगी जो ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स का अधिकारी या कर्मचारी हो ।

विनियम 70(vi) के अनुसार प्रॉक्सी लिखत देने वाला, लिखत से संबंधित बैठक में व्यक्तिगत रूप से वोट देने के लिए पात्र नहीं होगा ।

प्रॉक्सी की सूचना प्रभावी होने हेतु प्रॉक्सी फार्म बैठक प्रारंभ होने से कम से कम चार दिन पहले अर्थात् गुरूवार 28 नबम्बर, 2013 को कार्यालय समय की समाप्ति अर्थात् सायं 5.00 बजे तक या उससे पूर्व बैंक के कॉपोरेट कार्यालय प्लॉट नंबर–5, सैक्टर–32, इंस्टीच्युशनल एरिया, गुड़गांव–122001 में प्राप्त हो जानी चाहिए ।

4. **प्राधिकृत प्रतिनिधि की नियुक्ति**

कोई व्यक्ति किसी कंपनी निकाय, जो बैंक का शेयरधारक है, के विधिवत् प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में असाधारण सामान्य बैठक में भाग लेने और मतदान करने हेतु तब तक पात्र नहीं होगा, जब तक उसे विधिवत् प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त करने वाले संकल्प की प्रति को उस बैठक के अध्यक्ष द्वारा, जिस बैठक में वह पारित किया गया हो, सत्यप्रति प्रमाणित किया गया हो, बैठक की तिथि से कम से कम चार दिन पहले अर्थात् 28 नवम्बर, 2013, गुरूवार को कार्य समय की समाप्ति से पहले अर्थात् सायं 5.00 बजे तक या उससे पूर्व बैंक के कॉर्पोरेट कार्यालय, प्लॉट नंबर–5, सैक्टर–32, इंस्टीच्यूशनल एरिया, गुड़गाँव को प्रस्तुत नहीं किया जाता है ।

5. **उपस्थिति पत्रक–सह–प्रवेश पत्र**

शेयरधारकों की सुविधा हेतु उपस्थिति पत्रक–सह–प्रवेश पत्र इस सूचना के साथ अनुबंधित है । शेयरधारकों / प्रॉक्सीधारकों / प्राधिकृत प्रतिनिधियों से अनुरोध है कि उसे भरकर उसमें निर्धारित स्थान पर अपने हस्ताक्षर करें और उक्त उपस्थिति पत्रक बैठक स्थान पर सौंप दें । शेयरधारकों के प्रॉक्सी / प्राधिकृत प्रतिनिधि उपस्थिति पत्रक–सह–प्रवेश पत्र में यथास्थिति **"प्रॉक्सी"** या **"प्राधिकृत प्रतिनिधि",** जैसा भी मामला हो, उल्लिखित करें ।

6. शेयरधारक कृपया ध्यान दें कि बैठक में कोई उपहार / उपहार–कूपन वितरित नहीं किया जाएगा ।

<u>व्याख्यात्मक कथन</u>

1. बैंक बैंकिंग और संबंधित क्रियाकलापों के कारोबार में है । संप्रति बैंक की प्राधिकृत पूंजी रु.3000 करोड़ (रुपए तीन हजार करोड़) है । 31 मार्च, 2013 को बैंक की प्रदत्त ईक्विटी शेयर पूंजी रु. 291.76 करोड़ रही ।

2. प्रारंभिक पब्लिक ऑफर के समय आपके बैंक का पूंजी आधार रु. 130.16 करोड़ था जिसमें प्रत्येक रु.10 / – के 13,01,59,700 ईक्विटी शेयर थे । वर्ष 1994 में आपके बैंक ने रु. 50/- के प्रीमियम पर प्रत्येक रु.10 / – के 6,23,80.000 ईक्विटी शेयरों के प्रारंभिक पब्लिक ऑफर (आईपीओ) द्वारा अतिरिक्त पूंजी जुटाई थी ।

इसके अलावा बैंक ने 2005 में पब्लिक ऑफर के द्वारा रु. 240 / – के प्रीमियम पर प्रत्येक रु.10 / – के 5,80,00,000 ईक्विटी शेयर जारी किए थे।

बैंक ने भारत सरकार को @ 422.11 रुपए की दर से 10 रुपए के शेयर आबंटित करते हुए रुपए 4,12,21,482 के इक्विटी की अतिरिक्त पूंजी जुटाई (इसमें 412.11 रुपए प्रति शेयर का प्रीमियम शामिल है) वर्तमान में आपके बैंक में भारत सरकार की शेयरधारिता रु169.22

करोड़ है जो बैंक की प्रदत्त पूंजी का 58.00% है । 30 सितम्बर, 2013 को जोखिम भारित आस्तियों की तुलना में पूंजीगत निधियां निम्नानुसार हैं:

विवरण (यथा 30.09.2013)	राशि (रु. करोड़ में)	जोखिम भारित आस्ति से पूंजीगत निधियों का %
जोखिम भारित आस्तियाँ	**135297.09**	
टीयर –I पूंजी	12061.65	8.91%
टीयर –II पूंजी	3411.29	2.52%
कुल पूंजी	15472.94	11.43%

जोखिम भारित आस्तियों की गणना बासेल–III के दिशानिर्देशों के अनुरूप किया गया गया है।

3. बासेल–III के निर्देशानुसार बैंक की टीयर–I पूंजी में वृद्धि करने के लिए तथा बोर्ड के निर्णयानुसार सामान्य उधार प्रयोजनों हेतु बैंक, समय–समय पर यथा संशोधित भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (पूंजी का निर्गम और प्रकटन अपेक्षाएं) विनियम 2009 (सेबी आईसीडीआर विनियम) के विनियम 76, अध्याय VII के प्रावधानों के अनुसार 01 नवम्बर, 2013 को एतदर्थ संबंधित तारीख मानते हुए निर्धारित रु 80,87,561 के मूल्य पर प्रवर्तकों को अधिमान इश्यू के आधार पर रु.185.47 ईक्विटी शेयर तक अधिमान इश्यू द्वारा जारी करते हुए निधियों को जुटाने का प्रस्ताव रखता है ।

4. वर्तमान संकल्प एक विशेष संकल्प के रूप से पारित करने का प्रस्ताव है ताकि बैंक का निदेशक मंडल उपर्युक्त अधिमान इश्यू और आबंटन कर सके ।

5. सेबी (आईसीडीआर) विनियमों के प्रावधानों के अनुसार प्रस्तावित अधिमान इश्यू से संबंधित निम्नलिखित ब्यौरे प्रकट किए जाते है:

I. प्रस्तावित अधिमान इश्यू का उद्देश्य

बैंक की टीयर–I पूंजी में वृद्धि करने के लिए भारत सरकार के पक्ष में ईक्विटी के अधिमान आबंटन द्वारा रु. 150 करोड़ (रुपए एक सौ पचास करोड़) तक की पूंजीगत निधि लगाने का भारत सरकार ने निर्णय किया है ।

II. ऑफर हेतु अभिदान करने के लिए प्रवर्तकों / निदेशकों / प्रमुख प्रबंधन व्यक्तियों का प्रस्ताव

निम्नलिखित खण्ड (V) के अनुसार प्रवर्तक के अलावा किसी निदेशक या प्रमुख प्रबंधन व्यक्ति का उक्त ईक्विटी शेयरों में अभिदान करने का उद्देश्य नहीं है ।

III. प्रस्तावित अधिमान ऑफर से पहले और बाद में शेयरधारिता पैटर्न:

क्र.सं.	शेयरधारकों का नाम	शेयर की संख्या के अनुसार आबंटन से पूर्व	आबंटन से पूर्व प्रदत्त पूंजी का %	शेयर की संख्या के अनुसार आबंटन के बाद	आबंटन के बाद प्रदत्त पूंजी का %
1.	प्रवर्तक भारत के राष्ट्रपति	16,92,21,482	58	17,73,09,043	59.13
2.	अन्य शेयरधारक	12,25,39,700	42	12,25,39,700	40.87
3.	कुल (1+2)	29,17,61,182	100	29,98,48,743	100

IV. अधिमान इश्यू पूरा करने की समयावधि

शेयरधारकों द्वारा संकल्प पारित करने के 15 दिनों के भीतर आबंटन को पूरा किया जाएगा बशर्ते कि आबंटन का समय ऐसे आबंटन हेतु किसी विनियामक प्राधिकारी, यदि कोई हो, से अनुमोदन प्राप्त करने हेतु लिए जानेवाले समय तक बढ़ाया जाएगा ।

V. प्रस्तावित आबंटितियों की पहचान और उनके द्वारा अधिमान इश्यू के पश्चात् धारित प्रतिशतता और अधिमान इश्यू के परिणामस्वरूप इश्यूकर्ता के नियंत्रण में परिवर्तन, यदि हो:

प्रस्तावित आबंटिती की पहचान	इश्यू से पूर्व शेयरों की संख्या	इश्यू से पूर्व पूंजी का %	अधिमान आधार पर आबंटित किए जाने वाले ईक्विटी शेयरों की संख्या	शेयरों की संख्या के अनुसार आबंटन के बाद	आबंटन के बाद पूंजी का प्रतिशत	आबंटन के पश्चात् वृद्धि का प्रतिशत
भारत के राष्ट्रपति (भारत सरकार)	16,92,21,482	58	80,87,561	17,73,09,043	59.13	1.13

बैंक के वर्तमान प्रवर्तक, अर्थात् भारत के राष्ट्रपति बैंक पर अपना नियंत्रण जारी रखेंगे और प्रस्तावित अधिमान आबंटन के परिणामस्वरूप बैंक के प्रबंधन / नियंत्रण में कोई परिवर्तन नहीं होगा ।

VI. प्रस्तावित अधिमान इश्यू का मूल्यनः

इश्यू मूल्य सेबी आईसीडीआर विनियमों के अध्याय VII के अनुसार निर्धारित किया जाएगा ।

परिणामी ईक्विटी शेयरों का इश्यू मूल्य निर्धारित करने हेतु "संबंधित तारीख" 01 नवंबर, 2013 होगी, जो अपेक्षित बहुमत के सदस्यों द्वारा इस संकल्प को पारित करने की तारीख अर्थात् 03 दिसंबर, 2013 से 30 दिन पूर्व (सप्ताहंत के अतिरिक्त) तारीख है ।

बैंक के ईक्विटी शेयर जो 6 माह से अधिक अवधि के लिए सूचीबद्ध हो तथा सेबी आईसीडीआर विनियमों के नियम 76 (3) तथा 78 (5) के प्रावधानों तथा सेबी (आईसीडीआर) विनियमों, 2009 के नियम 73 (1) (एफ) एवं (जी) के अंतर्गत प्रकट किए गए हों, लागू नहीं होंगे।

VII. आशय–पत्र

आपके बैंक को संदर्भ संख्या एफ सं.11 / 13 / 2011–बीओए दिनांक 22 अक्तूबर, 2013 द्वारा वित्त मंत्रालय, भारत सरकार, वित्तीय सेवाएं से भारत सरकार अर्थात् भारत के राष्ट्रपति के पक्ष में ईक्विटी के अधिमान आबंटन द्वारा रु. 150.00 करोड़ (रुपए एक सौ पचास करोड़ मात्र) के निवेश की सहमति जताते हुए संसूचना प्राप्त हुई है ।

VIII. सांविधिक लेखा–परीक्षकों से प्रमाणनः

प्रस्तावित अधिमान इश्यू पर विचार करने के लिए सांविधिक लेखा–परीक्षकों से यह प्रमाणित करते हुए प्राप्त प्रमाण–पत्र शेयरधारकों की असाधारण सामान्य बैठक में रखा जाएगा कि उक्त इश्यू सेबी (आईसीडीआर) विनियमों की अपेक्षाओं के अनुसार किया जा रहा है । उक्त प्रमाण–पत्र की एक प्रति 3 दिसंबर 2013 को असाधारण सामान्य बैठक में निरीक्षण हेतु उपलब्ध कराई जाएगी।

IX. निश्चित अवरुद्धता अवधि :

सेबी (आईसीडीआर) विनियमों के अनुसार, प्रवर्तकों अर्थात् भारत सरकार को अधिमान आधार पर जारी किए जाने वाले प्रस्तावित ईक्विटी शेयर आबंटन की तारीख से तीन वर्षों की अवरुद्धता अवधि के अध्यधीन होंगे । केन्द्र भारत सरकार द्वारा रखे गए शेयरों का क्रय–विक्रय नहीं किया जा सकता है ।

उपर्युक्तानुसार जारी ईक्विटी शेयर सभी दृष्टियों से बैंक के वर्तमान ईक्विटी शेयरों के सममूल्य पर होंगे ।

भारत सरकार द्वारा धारित सभी शेयर अमूर्तिकृत मोड में है और स्टॉक एक्सचेंज, जहां बैंक के ईक्विटी शेयर सूचीबद्ध हैं, के साथ बैंक सूचीबद्ध समझौते में निर्दिष्ट ईक्विटी शेयरों के नियमित सूचीबद्ध की शर्त का अनुपालन करेगा । भारत सरकार ने संबंधित तिथि से छः माह के दौरान बैंक के कोई ईक्विटी शेयर नहीं बेचे हैं ।

6. भारत में बैंक के ईक्विटी शेयरों को सूचीबद्ध किए गए विभिन्न स्टॉक एक्सचेंजों के साथ बैंक द्वारा निष्पादित सूचीकरण करार के खण्ड 23 में अन्य बातों के साथ–साथ ऐसा उपबंध है कि जहां अतिरिक्त शेयर आबंटित करते हुए बैंक की निर्गमित पूँजी को बढ़ाने का प्रस्ताव है, वहाँ विशेष संकल्प द्वारा सामान्य बैठक में शेयरधारकों द्वारा अन्यथा निर्णय न लेने पर ऐसे शेयर बैंक के वर्तमान शेयरधारकों को उनकी शेयरधारिता के अनुपात में अभिदान हेतु सबसे पहले ऑफर किए जाएंगे । चूँकि पूर्णतः प्रदतः ईक्विटी शेयरों का प्रस्तावित आबंटन बैंक के वर्तमान शेयरधारकों को आनुपातिक रूप से नहीं है, अतः उपर्युक्त संकल्प पारित करने की आवश्यकता है । यही नहीं, यह सेबी (आईसीडीआर) विनियम, 2009 के विनियम 72 के अंतर्गत अपेक्षित भी है ।

7. निदेशक मंडल संकल्प हेतु आपके अनुमोदन की सिफारिश करते हैं ।

8. कोई भी निदेशक संकल्प के इच्छुक नहीं हैं ।

स्थान : गुड़गांव **एस. एल. बन्सल**
दिनांक : 30.10.2013 **अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक**

संबंधित अधिनियम, विनियम आदि का सार

इस संबंध में क्रमशः यथासंशोधित बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अभिग्रहण तथा अंतरण) अधिनियम, 1980 की संबंधित धाराएं तथा ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स (शेयर तथा बैठक) विनियम, 1998 के संबंधित विनियम शेयरधारकों की सूचनार्थ पुनः प्रस्तुत है ।

बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अभिग्रहण तथा अंतरण) अधिनियम

मताधिकार पर प्रतिबंध

धारा 3(2ई) केंद्र सरकार के अलावा बैंक के कोई भी शेयरधारक उसके द्वारा धारित शेयरों के संबंध में बैंक के सभी शेयरधारकों के कुल मताधिकार के दस प्रतिशत से अधिक मताधिकार प्रयोग करने के पात्र नहीं है ।

ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स (शेयर तथा बैठक) विनियम, 1998

अध्याय II (शेयर तथा शेयर रजिस्टर)

10. **संयुक्त धारकों के अधिकारों का प्रयोग :**

यदि कोई शेयर दो या दो से अधिक व्यक्तियों के नाम पर है, तो मतदान, लाभांश की प्राप्ति, नोटिस देने तथा शेयर अंतरण को छोड़कर बैंक के सभी या कोई अन्य मामले के संबंध में, उस व्यक्ति को एकमात्र धारक माना जाएगा जिसका नाम रजिस्टर में पहले आता हो ।

अध्याय IV (शेयरधारकों की बैठक)

61. **सामान्य बैठकों में मतदान**

(i) किसी भी सामान्य बैठक में, यदि बैठक के मताधीन संकल्प, मतदान की माँग नहीं की है तो, हाथ दिखाने पर निश्चित किया जाएगा।

(ii) अधिनियम में अन्यथा न दिए जाने पर, सामान्य बैठक में प्रस्तुत हर मामले का निर्णय मतों के बहुमत के द्वारा लिया जाएगा ।

(iii) जब तक उप–विनियम (i) के तहत मतदान की मांग न की जाए, बैठक के अध्यक्ष द्वारा यह घोषणा कि हाथ दिखाने के द्वारा सर्वसम्मति से या विशिष्ट बहुमत द्वारा संकल्प लिया गया है या नहीं तथा कार्यवाही के कार्यवृत्त की पुस्तकों में इस आशय की प्रविष्टि ऐसे संकल्प के पक्ष में या खिलाफ डाले गए मत की संख्या या अनुपात के प्रमाण के बिना तथ्य का परिणामी साक्ष्य होगा ।

(iv) हाथ दिखाने पर किसी संकल्प पर मतदान के परिणाम की घोषणा पर या उससे पहले, एक मतदान का आदेश दिया जाए जो बैठक के अध्यक्ष द्वारा अपने प्रस्ताव के लिए लिया जाएगा तथा उनके द्वारा लिए जाने के लिए आदेश दिया जाएगा यदि इसके लिए किसी शेयरधारक की ओर से या उपस्थित शेयरधारक व्यक्तिगत रूप से या प्रॉक्सी द्वारा इसकी मांग करें तथा बैंक में शेयर धारित करते हों जो संकल्प पर मतदान करने का अधिकार जो संकल्प के संबंध में, कुल मताधिकार के पाँचवें भाग से कम न हो ।

(v) मतदान हेतु मांग किसी भी समय मांग करने वाले व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा वापस ली जा सकती है ।

(vi) स्थगन के प्रश्न पर या बैठक के अध्यक्ष के चुनाव की मांग पर मतदान तत्काल किया जाएगा ।

(vii) किसी अन्य प्रश्न पर मतदान की मांग को ऐसी मांग करने के समय के अड़तालीस घंटे के अंदर पूरा किया जाएगा जैसाकि बैठक के अध्यक्ष का निर्देश हो ।

(viii) किसी भी व्यक्ति के मतदान करने की योग्यता तथा मतदान के मामले में भी मतदान करने हेतु मतों की संख्या के संबंध में किसी भी व्यक्ति की सक्षमता के संबंध में बैठक के अध्यक्ष का निर्णय अंतिम होगा ।

अध्याय VI (शेयरधारकों का मताधिकार)

68. **मताधिकार का निर्धारण –**

(i) अधिनियम की धारा 3(2ई) में सम्मिलित प्रावधानों के अधीन, प्रत्येक शेयरधारक, जिन्हें सामान्य बैठक के दिनांक से पहले रजिस्टर की समाप्ति के दिनांक को शेयरधारक के रूप में पंजीकृत किया गया है, को ऐसी बैठक में हाथ दिखाने पर एक वोट प्राप्त होगा तथा मतदान के मामले में उनके द्वारा धारित प्रत्येक शेयर के लिए एक वोट होगा ।

(ii) अधिनियम की धारा 3(2ई) में सम्मिलित प्रावधानों के अधीन, प्रत्येक शेयरधारक जो कंपनी न हो, पूर्वोक्तानुसार मतदान हेतु पात्र है, जो व्यक्तिगत रूप से या प्रॉक्सी द्वारा उपस्थित हो या जो कंपनी होने पर विधिवत् प्राधिकृत प्रतिनिधि द्वारा या प्रॉक्सी द्वारा उपस्थित हो, को हाथ दिखाने पर एक वोट प्राप्त होगा तथा मतदान के मामले में उनके द्वारा धारित प्रत्येक शेयर के लिए एक वोट होगा जैसा कि उपरोक्त उप–विनियम (i) में उल्लेख किया गया है ।

स्पष्टीकरण – इस अध्याय के लिए, 'कंपनी' का अर्थ है कोई भी निगमित निकाय ।

(iii) सामान्य बैठक में उपस्थित होने तथा मतदान करने के पात्र बैंक के शेयरधारक उनके स्थान पर उपस्थित होने तथा मतदान करने के लिए अपने प्रॉक्सी के रूप में दूसरे व्यक्ति (शेयरधारक हो या न हो) को नियुक्त करने का अधिकार होगा; तथापि इस प्रकार नियुक्त प्रॉक्सी को बैठक में बोलने का अधिकार नहीं होगा ।

69. **विधिवत् प्राधिकृत प्रतिनिधि द्वारा मतदान –**

(i) शेयरधारक, केन्द्र सरकार या कंपनी होने पर, संकल्प द्वारा, यथास्थिति, शेयरधारकों की किसी सामान्य बैठक में उसके प्रतिनिधि के रूप में कार्य करने हेतु अपने अधिकारी या किसी अन्य व्यक्ति को प्राधिकृत करेगा तथा इस प्रकार प्राधिकृत व्यक्ति (इन विनियमों में, विधिवत् प्राधिकृत प्रतिनिधि' के रूप में उल्लिखित) केंद्र सरकार या कंपनी की ओर से वही अधिकार का प्रयोग करने हेतु पात्र होगा जिसका वह प्रतिनिधित्व कर रहा है, मानो वह बैंक का व्यक्तिगत शेयरधारक हो । इस प्रकार प्रदत्त प्राधिकरण वैकल्पिक रूप में दो व्यक्तियों के पक्ष में हो सकता है तथा ऐसे मामले में ऐसे व्यक्तियों में से कोई एक केंद्र सरकार/कंपनी के विधिवत् प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में कार्य कर सकता है।

(ii) कोई व्यक्ति बैंक के शेयरधारकों की किसी भी बैठक में विधिवत् प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में भाग लेने और मतदान करने हेतु तब तक पात्र नहीं होगा जब तक उसे विधिवत् प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त करने वाले संकल्प की प्रति को उस बैठक के अध्यक्ष द्वारा, जिस बैठक में वह पारित किया गया हो, सत्य प्रति प्रमाणित किया गया हो, बैठक की निर्धारित तारीख से कम से कम चार दिनों पहले बैंक के प्रधान कार्यालय में प्रस्तुत नहीं किया जाता है ।

ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स

प्रधान कार्यालय – हर्ष भवन, ई–ब्लॉक, कनॉट प्लेस,
नई दिल्ली – 110001
कॉरपोरेट कार्यालय : प्लॉट नं0 5, सैक्टर–32, इंस्टीट्यूशनल एरिया,
गुड़गांव – 122001

असाधारण सामान्य बैठक हेतु उपस्थिति पत्रक–सह प्रवेश पत्र

दिनांकः 03 दिसम्बर, 2013
समयः प्रातः 10.00 बजे
स्थलः पी.एच.डी. चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इंडस्ट्री, पी.एच.डी. हाउस, 4/2, सिरी इंस्टीट्यूशनल एरिया, अगस्त क्रांति मार्ग, नई दिल्ली – 110016

उपस्थिति पत्रक / ATTENDANCE SLIP

(प्रवेश के समय जमा किया जाए/ To be surrendered at the time of entry)

नाम स्पष्ट अक्षरों में (सदस्य/प्रॉक्सी) NAME IN BLOCK LETTERS (Member/Proxy)	फोलियो/डीपीआईडी/ग्राहक आईडी सं0 FOLIO/DPID/CLIENT ID NO.	शेयरों की संख्या No. of Shares

शेयरधारक/प्रॉक्सी/उपस्थित प्रतिनिधि के हस्ताक्षर

.....

प्रवेश पत्र
ENTRY PASS

नाम स्पष्ट अक्षरों में (सदस्य/प्रॉक्सी) NAME IN BLOCK LETTERS (Member/Proxy)	फोलियो/डीपीआईडी/ग्राहक आईडी सं0 FOLIO/DPID/CLIENT ID NO.	शेयरों की संख्या No. of Shares

शेयरधारकों/प्रॉक्सीधारकों/प्रतिनिधियों से अनुरोध है कि बैठक हाल में प्रवेश हेतु इस उपस्थिति पत्रक–सह–प्रवेश पत्र को विधिवत् हस्ताक्षर करके प्रस्तुत करें। प्रवेश–पत्र वाला भाग शेयरधारकों/प्रॉक्सीधारकों/प्रतिनिधियों को लौटा दिया जाएगा जिसे उन्हें बैठक समाप्त होने तक अपने पास रखना चाहिए । फिर भी प्रवेश यथा आवश्यकयतानुसार आगे सत्यापन/जाँच के अध्यधीन होगा । किसी भी हालत में बैठक –हाल में प्रवेश द्वार पर उपस्थिति पत्रक–सह–प्रवेश पत्र की दूसरी प्रति जारी नहीं की जाएगी।

पुनश्चः बैठक में कोई उपहार/उपहार कूपन नहीं बांटे जाएंगे।

Shareholders/Proxy holders/Representatives are requested to produce this Attendance Slip-cum-entry Pass duly signed, for admission to the meeting hall. The Entry Pass portion will be handed back to the Shareholders/Proxy holders/Representatives, who should retain it till the conclusion of the meeting. The admission may, however, be subject to further verification/checks, as may be deemed necessary. Under no circumstances, will any duplicate Attendance Slip-cum-entry Pass be issued at the entrance to the meeting hall.

P.S. : No gifts/gift coupons will be distributed at the meeting.

ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स
प्रधान कार्यालय : नई दिल्ली –110001
कॉरपोरेट **कार्यालयः गुड़गांव–122001**

पंजीकृत फोलियो नं. (यदि अमूर्तिकृत न हो)
डीपीआईडी नं. ग्राहक आईडी नं. (यदि अमूर्तिकृत हो)

फार्म 'बी'

प्रॉक्सी फॉर्म

(शेयरधारक द्वारा भरकर हस्ताक्षरित किया जाए)

मैं/हम राज्य के जिले में, का/के निवासी ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स का/के शेयरधारक होने के नाते एतद्द्वारा राज्य के जिले के निवासी श्री/श्रीमती को अथवा उनके उपस्थित न हो सकने पर राज्य के जिले के निवासी/श्री/श्रीमतीको दिनांक 03 दिसम्बर, 2013, मंगलवार को पी.एच.डी. चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इंडस्ट्री, पी.एच.डी. हाउस, 4/2, सिरी इंस्टीट्यूशनल एरिया, अगस्त क्रांति मार्ग, नई दिल्ली – 110016 में आयोजित होने वाली बैंक के शेयरधारकों की असाधारण सामान्य बैठक में तथा इसके अधिस्थगन में मेरी/हमारी ओर से मेरे/हमारे लिए वोट देने के लिए प्रॉक्सी नियुक्त करता हूँ/करते हैं।

कृपया 1/– रुपए का रेवेन्यू स्टैम्प चिपकाएं

.....दिन के 2013 को हस्ताक्षरित ।

प्रॉक्सी के हस्ताक्षर

प्रथम धारक/एकमात्र धारक के हस्ताक्षर
नाम :
पता :
.....

<u>प्रॉक्सी फार्म पर हस्ताक्षर करने और प्रस्तुत करने संबंधी अनुदेश</u>

1. प्रॉक्सी लिखत वैध होने के लिए यह जरूरी है कि
 - क. व्यक्तिगत शेयरधारक के मामले में यह उसके द्वारा या लिखित रूप में विधिवत् प्राधिकृत उसके अटर्नी द्वारा हस्ताक्षरित हो ।
 - ख. संयुक्त धारकों के मामले में सदस्य–रजिस्टर में प्रथम नामित शेयरधारक द्वारा या लिखित रूप में विधिवत प्राधिकृत उसके अटर्नी द्वारा हस्ताक्षरित हो ।
 - ग. किसी कार्पोरेट निकाय के मामले में सामान्य मोहर, यदि कोई है, के साथ उसके अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित एवं निष्पादित किया जाए या अन्यथा लिखित रूप में विधिवत् प्राधिकृत उसके अटर्नी द्वारा हस्ताक्षरित हो ।
2. प्रॉक्सी की कोई लिखत, जिसमें शेयरधारक के अंगूठे का निशान है, वैध होगी बशर्ते यह किसी जज, मजिस्ट्रेट, एश्योरेंस के रजिस्ट्रार या उप–रजिस्ट्रार या किसी अन्य सरकारी राजपत्रित अधिकारी या ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स के अधिकारी द्वारा अधिप्रमाणित हो।
3. प्रॉक्सी के साथ
 - क. मुख्तारनामा या अन्य प्राधिकार (यदि कोई है) जिसके तहत यह हस्ताक्षरित किया गया या
 - ख. नोटरी पब्लिक या किसी मजिस्ट्रेट द्वारा प्रमाणित उस मुख्तारनामे या प्राधिकार की प्रति असाधारण सामान्य बैठक प्रारंभ होने की तारीख से चार दिन पहले अर्थात् **28 नवम्बर, 2013, गुरूवार को कार्यालय समय की समाप्ति अर्थात् 5.00 बजे तक** या उसके पहले बैंक के कॉरपोरेट कार्यालय, प्लॉट नं 5, सैक्टर–32, इंस्टीट्यूशनल एरिया, गुड़गांव – 122001 में जमा किया जाना चाहिए ।
4. यदि संबद्ध मुख्तारनामा ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स या इसके शेयर अंतरण एजेंट के पास पहले ही पंजीकृत किया जा चुका है तो मुख्तारनामे की पंजीकरण संख्या तथा ऐसे पंजीकरण की तिथि उल्लिखित की जानी चाहिए ।
5. कोई भी प्रॉक्सी तब तक वैध नहीं होगी जब तक कि उस पर विधिवत् स्टाम्प न लगाया जाए ।
6. बैंक में जमा की गई प्रॉक्सी लिखत अप्रतिसंहरणीय तथा अंतिम होगी ।
7. यदि प्रॉक्सी लिखत वैकल्पिक रूप में दो प्राप्तिकर्ताओं के पक्ष में मंजूर की गई तो एक से अधिक फार्म निष्पादित नहीं किया जाएगा।
8. शेयरधारक, जिसने प्रॉक्सी लिखत निष्पादित की है, ऐसी लिखत जिस बैठक से संबंधित है उसमें व्यक्तिगत रूप से वोट डालने का हकदार नहीं होगा ।
9. ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स के किसी कर्मचारी अथवा अधिकारी को विधिवत् प्राधिकृत प्रतिनिधि या प्रॉक्सी के रूप में नियुक्त नहीं किया जाएगा ।
10. कोई भी प्रॉक्सी लिखत तब तक वैध नहीं होगी जब तक कि यह फार्म 'बी' में न हो ।

ORIENTAL BANK OF COMMERCE

HEAD OFFICE: HARSHA BHAWAN, E-BLOCK, CONNAUGHT PLACE, NEW DELHI – 110001

CORPORATE OFFICE: PLOT NO.5, SECTOR-32, INSTITUTIONAL AREA, GURGAON-122001

NOTICE

NOTICE IS HEREBY GIVEN pursuant to Regulation 57 of the Oriental Bank of Commerce (Shares and Meetings) Regulations, 1998 that an Extraordinary General Meeting of the Shareholders of Oriental Bank of Commerce will be held on Tuesday, the 3rd December 2013 at 10.00 a.m. at PHD Chamber of Commerce and Industry, PHD House, 4/2, Siri Institutional Area, August Kranti Marg, New Delhi-110016, to transact the following business:

To consider and if thought fit, to pass with or without modification, the following as a Special Resolution: -

"RESOLVED THAT pursuant to provisions of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1980, Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1980, Oriental Bank of Commerce (Shares and Meetings) Regulations 1998, Listing Agreement entered into with the Stock Exchanges where the equity shares of the Bank are listed (including any amendment thereto or re-enactment thereof) and the other Rules/Notifications/Circulars/Regulations/Guidelines if any prescribed by the Government of India, Reserve Bank of India, Securities and Exchange Board of India or any other relevant authority, from time to time to the extent applicable and subject to approvals, consents, permissions and sanctions, which may be agreed to by the Board of Directors of the Oriental Bank of Commerce (the **Bank),** consent of the shareholders of the Bank be and is hereby accorded to the Board of Directors of the Bank **(**hereinafter referred to as the **"Board",** which term shall be deemed to include any Committee(s) constituted/to be constituted by the Board to exercise its powers including the powers conferred by this Resolution), to create, offer, issue and allot 80,87,561 Equity Shares of the Bank of Rs.10/- (Rupees Ten only) each for cash at Issue price (including premium) of Rs.185.47(Rupees One hunderd eighty five and forty seven paise only) per Equity Share, aggregating upto Rs.150,00,00,000/- (Rupees One hundred and fifty crore only) by way of Preferential Issue to the promoters of the Bank i.e. the Government of India (President of India) in terms of the Chapter VII of the Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2009, as amended from time to time (the "**SEBI ICDR Regulations").**"

"RESOLVED FURTHER THAT the Relevant Date for determination of Issue Price is 1st November 2013 in accordance with the SEBI ICDR Regulations."

"RESOLVED FURTHER THAT the Board shall have the authority and power to accept any modification in the proposal as may be required or imposed by the GOI/ RBI / SEBI/ Stock Exchanges where the shares of the Bank are listed or such other appropriate authorities at the time of according / granting their approvals, consents, permissions and sanctions to issue, allotment and listing thereof and as agreed to by the Board".

"**RESOLVED FURTHER THAT** the new Equity Shares to be issued and allotted on preferential basis in pursuance of this Resolution shall be issued in dematerialized form and shall be subject to lock-in requirements required under Chapter VII of the SEBI (ICDR) Regulations and shall rank pari passu in all respects (including Dividend) with the existing Equity Shares of the Bank and be listed on Stock Exchanges where the Equity Shares of the Bank are listed."

"RESOLVED FURTHER THAT for the purpose of giving effect to this Resolution, the Board be and is hereby authorized to do all such acts, deeds, matters and things as it may in its absolute discretion deem necessary, proper and desirable and to settle any question, difficulty or doubt that may arise in regard to the issue of the equity shares and further to do all such acts, deeds, matters and things, finalize and execute all documents and writings as may be necessary, desirable or expedient as it may in its absolute discretion deem fit, proper or desirable without being required to seek any further consent or approval of the shareholders or authorize to the end and intent that the shareholders shall be deemed to have given their approval thereto expressly by the authority of this resolution"

"RESOLVED FURTHER THAT the Board of Directors of the Bank be and is hereby authorised to delegate all or any of its powers to the Chairman and Managing Director or in his absence Executive Director(s) of the Bank to give effect to the aforesaid Resolution.**"**

By order of the Board of Directors
for ORIENTAL BANK OF COMMERCE

Place : Gurgaon
Date : 30.10.2013

S.L.BANSAL
CHAIRMAN AND MANAGING DIRECTOR

NOTES

1. Explanatory Statement

The Explanatory Statement setting out the material facts in respect of the business of the meeting is annexed hereto.

2. Voting Rights

In terms of sub-section (2E) of Section 3 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1980, no shareholder of the Bank, other than the Central Government, shall be entitled to exercise voting rights in respect of any shares held by him/her in excess of ten per cent of the total voting rights of all the shareholders of the Bank.

Subject to above, each shareholder who has been registered as a shareholder shall have one vote on show of hands and in case of poll shall have one vote for each share held by him subject to maximum of 10% of the total voting rights other than the Central Government.

As per Regulation 10 of the Oriental Bank of Commerce (Shares and Meetings) Regulations, 1998 if any share stands in the name of two or more persons, the person first named in the register shall, as regards voting, be deemed to be the sole holder thereof.

3. APPOINTMENT OF PROXY

A SHAREHOLDER ENTITLED TO ATTEND THE MEETING, IS ALSO ENTITLED TO APPOINT A PROXY TO ATTEND INSTEAD OF HIMSELF/HERSELF, AND SUCH A PROXY NEED NOT BE A SHAREHOLDER OF THE BANK.

However, the proxy so appointed will not have any right to speak at the Meeting.

No person shall be appointed as a proxy who is an officer or an employee of Oriental Bank of Commerce.

As per the Regulations 70(vi), the grantor of an instrument of proxy shall not be entitled to vote in person at the meeting to which such instrument relates.

The proxy form, in order to be effective, must be received by the Bank at Corporate Office of the Bank at Plot No.5, Sector-32, Institutional Area, Gurgaon – 122001, **not later than FOUR DAYS** before the date of the meeting, i.e., on or before the closing hours i.e. 5.00 p.m of Thursday, 28th November 2013**.**

4. APPOINTMENT OF AN AUTHORISED REPRESENTATIVE

No person shall be entitled to attend or vote at the Extraordinary General Meeting as a duly authorised representative of any body corporate which is a shareholder of the Bank, unless a copy of the resolution appointing him/her as a duly authorised representative, certified to be true copy by the Chairman of the meeting at which it was passed has been deposited at Corporate Office of the Bank at Plot No.5, Sector-32, Institutional Area, Gurgaon – 122001, not later than **FOUR DAYS** before the date of the Meeting i.e., on or before the closing hours i.e. 5.00 p.m of Thursday, 28th November 2013**.**

5. ATTENDANCE SLIP - CUM - ENTRY PASS

For the convenience of the shareholders, Attendance Slip-cum-Entry Pass is annexed to this notice. Shareholders/Proxy holders/Authorized Representatives are requested to fill in and affix their signatures at the space provided therein and surrender the same at the venue. Proxy/Authorized Representative of shareholders should state on the Attendance Slip-cum-Entry Pass as **"Proxy"** or **"Authorized Representative"** as the case may be.

6. Shareholders may kindly note that no gift/gift coupon will be distributed at the meeting.

EXPLANATORY STATEMENT

1. The Bank is in the business of the banking and its related activities. Presently, the Authorised Capital of the Bank is Rs.3000 crore (Rupees Three thousand crore only). The Paid-up Equity Share Capital of the Bank as on 31st March 2013 is Rs.291.76 crore.

2. At the time of the Initial Public Offer, your Bank had a Capital base of Rs.130.16 crore consisting of 13,01,59,700 equity shares of Rs.10/- each. In the year 1994, your Bank had raised additional capital by way of Initial Public Offer (IPO) consisting of 6,23,80,000 equity shares of Rs. 10/- each at a premium of Rs.50/-.

 The Bank further issued 5,80,00,000 Equity Shares of Rs.10/- each for cash at a premium of Rs.240/- through FPO in 2005.

 The Bank raised additional capital by way of preferential allotment to Govt. of India of 4,12,21,482 equity shares of Rs.10 each @ Rs.422.11 per share (including premium of Rs.412.11 per share) in March 2011.

 Presently, the shareholding of Government of India in your Bank is Rs.169.22 crore, which constitute 58.00% of total paid-up capital of the Bank. The Capital fund to Risk Weighted Assets as on September 30, 2013 is as under.

Particulars (As on 30.09.2013)	Amount Rs. in crore	% of capital funds to risk weighted asset
Risk Weighted Assets	**135297.09**	
Tier-I Capital	12061.65	8.91%
Tier-II Capital	3411.29	2.52%
Total Capital Funds	15472.94	11.43%

 RWA calculated on the basis of **BASEL-III** guidelines.

3. To augment Tier I capital of the Bank as per Basel III guidelines and for general lending purposes as may be decided by the Board, the Bank proposes to raise funds by way of a Preferential issue of 80,87,561 equity shares at a price of Rs.185.47 per share determined in accordance with the provisions of Regulation 76, Chapter VII of the Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations 2009, as amended from time to time, ("**SEBI ICDR Regulations**") considering 1st November 2013 as the Relevant Date for this purpose, of preferential issue to Promoters.

4. The present resolution is proposed to be passed as a Special Resolution in order to enable the Board of Directors of the Bank to make the above-mentioned preferential issue and allotment.

5. The following details of the proposed preferential issue are disclosed in accordance with the provisions of SEBI (ICDR) Regulations:

 I. The Objects of the proposed Preferential Issue:

 To augment Tier I capital of the Bank, the Government of India has decided to infuse capital funds to the tune of 150 crores (Rupees One hundred fifty crores) by way of preferential allotment of equity in favour of the Government of India.

 II. Proposal of the Promoters / Directors / Key Management Persons of the issue to subscribe to the offer:

 None of the Directors or Key Management persons other than Promoter as mentioned in Clause (V) below intends to subscribe to the equity shares.

III. Shareholding Pattern before and after the proposed Preferential Offer:

Sr. No.	Name of Shareholders	Pre-allotment in terms of No. of shares	% of pre-allotment Paid Up Capital	Post allotment in terms of No. of Shares	% of Post-allotment Paid Up Capital
1.	Promoter President of India	16,92,21,482	58	17,73,09,043	59.13
2.	Other Share-holders	12,25,39,700	42	12,25,39,700	40.87
3.	Total (1+2)	29,17,61,182	100	29,98,48,743	100

IV. The timeline within which the preferential issue shall be completed:

The allotment shall be made within 15 days of the passing of the resolution by the shareholders, provided that the time for allotment shall be extended by the time taken for obtaining approval for such allotment from any regulatory authority if any.

V. The identity of the Proposed Allottees and the percentage of post Preferential Issue capital that may be held by them and change in control, if any, in the issuer consequent to the preferential issue :

Identity of the Proposed Allottee	No of Shares before the Issue	% of capital prior to the Issue	No. of Equity shares to be allotted on Preferential basis	Number of shares held after allotment	% of Capital held Post allotment	Incremental % post allotment
President of India (Government of India)	16,92,21,482	58	80,87,561	17,73,09,043	59.13	1.13

The existing promoters of the Bank i.e. the President of India will continue to vest their control over the Bank and there will not be any change in the management/control on the Bank as a result of the proposed preferential allotment.

VI. Pricing of the proposed Preferential Issue:

The Issue Price will be determined in accordance with the Chapter VII of the SEBI ICDR Regulations.

The "Relevant Date" for determining the issue price of the resultant equity shares shall be 1st November 2013, being the date (besides weekend) which is 30 days prior to the date for passing this resolution by requisite majority of members i.e. 3rd December 2013.

The equity shares of the Bank have been listed for more than six months and accordingly, provisions of Regulation 76 (3) and 78 (5) of SEBI ICDR Regulations and the disclosures under Regulation 73 (1) (f) & (g) of SEBI (ICDR) Regulations, 2009 are not applicable.

VII. Letter of Intent

Your Bank received a communication vide reference Number F.No.11/13/2011-BOA dated 22nd October 2013 from the Ministry of Finance, Government of India, Department of Financial Services agreeing to infuse capital to the tune of Rs.150.00 crore (Rupees One hundred and fifty crore) by way of preferential allotment of equity in favour of the Government of India, i.e. President of India.

VIII. Certification from Statutory Auditor:

Certificate from the Statutory Auditor shall be placed before the Extraordinary General Meeting of the Shareholders, considering the proposed preferential issue, certifying that the issue is being made in accordance with the requirements of the SEBI (ICDR) Regulations. A copy of the said certificate will be made available for inspection at the Extraordinary General Meeting on 3rd December 2013.

IX. Lock-in period:

As per SEBI ICDR Regulations, the equity shares proposed to be issued on preferential basis to the Promoters i.e. Government of India shall be subject to a lock-in period of three years from the date of allotment. The shares held by the Central Government are not tradable.

The equity shares issued as above shall rank pari passu in all respects with the existing equity shares of the Bank

All the shares held by the Government of India are in dematerialized mode and the Bank is in compliance with the conditions of continuous listing of equity shares as specified in the Listing Agreement with the Stock Exchanges where the equity shares of the Bank are listed. The Government of India has not sold any equity shares of the Bank during the six months preceding the relevant date.

6. Clause 23 of the Listing Agreement executed by the Bank with the various stock exchanges in India where the Bank's Equity Shares are listed provide inter-alia that when it is proposed to increase the issued capital of the Bank by allotment of further shares, such shares, shall be first offered to the existing shareholders of the Bank for subscription in proportion to their shareholding in the Bank unless the shareholders decide otherwise in a general meeting by a special resolution. As the proposal to allot fully paid up Equity Share is other than pro rata to the existing shareholders of the Bank, the above resolution is required to be passed. Further, it is also required under Regulation 72 of the SEBI ICDR Regulations, 2009.

7. The Board of Directors recommend the resolution for your approval.

8. None of the Directors are interested in the Resolution.

By order of the Board of Directors
for ORIENTAL BANK OF COMMERCE

Place: Gurgaon **S.L.BANSAL**

Date : 30.10.2013 **CHAIRMAN AND MANAGING DIRECTOR**

EXTRACTS OF RELEVANT ACTS, REGULATIONS ETC.

The relevant sections of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1980, as amended, and the relevant regulations of the Oriental Bank of Commerce (Shares and Meetings) Regulations, 1998, respectively in this regard are reproduced below for information of the shareholders.

THE BANKING COMPANIES (ACQUISITION AND TRANSFER OF UNDERTAKINGS) ACT.

Restrictions on voting rights

Section 3(2E) No Shareholder of the bank, other than the Central Government, shall be entitled to exercise voting rights in respect of any shares held by him in excess of ten per cent of the total voting rights of all the shareholders of the bank.

ORIENTAL BANK OF COMMERCE (SHARES AND MEETINGS) REGULATIONS, 1998

CHAPTER II (SHARES AND SHARE REGISTER)

10. Exercise of rights of joint holders :

If any share stands in the names of two or more persons, the person first named in the register shall, as regards voting, receipt of dividends, service of notices and all or any other matter connected with the Bank except the transfer of shares, be deemed to be the sole holder thereof.

CHAPTER IV (MEETINGS OF SHARE HOLDERS)

61. Voting at general meetings

(i At any general meeting, a resolution put to the vote of the meeting shall, unless a poll is demanded, be decided on a show of hands.

(ii) Save as otherwise provided in the Act, every matter submitted to a general meeting shall be decided by a majority of votes.

(iii) Unless a poll is demanded under sub-regulation (i), a declaration by the Chairman of the meeting that a resolution on show of hands has or has not been carried either unanimously or by a particular majority and an entry to that effect in the books containing the minutes of the proceedings, shall be conclusive evidence of the fact, without proof of the number or proportion of the votes cast in favour of, or against, such resolution.

(iv) Before or on the declaration of the result of the voting on any resolution on a show of hands, a poll may be ordered to be taken by the chairman of the meeting of his own motion, and shall be ordered to be taken by him on a demand made in that behalf by any shareholder or shareholders present in person or by proxy and holding shares in the Bank which confer a power to vote on the resolution not being less than one fifth of the total voting power in respect of the resolution.

(v) The demand for a poll may be withdrawn at any time by the person or persons who made the demand.

(vi) A poll demanded on a question of adjournment or election of chairman of the meeting shall be taken forthwith.

(vii) A poll demanded on any other question shall be taken at such time not being later than forty eight hours from the time when the demand was made, as the chairman of the meeting may direct

(viii) The decision of the chairman of the meeting as to the qualification of any person to vote, and also in the case of poll, as to the number of votes any person is competent to exercise shall be final.

CHAPTER VI (VOTING RIGHTS OF SHAREHOLDERS)

68. Determination of voting rights-

(i) Subject to the provisions contained in section 3(2E) of the Act, each shareholder who has been registered as a shareholder on the date of closure of the register prior to the date of a general meeting shall, at such meeting, have one vote on show of hands and in case of a poll shall have one vote for each share held by him.

(ii) Subject to the provisions contained in Section 3(2E) of the Act, every shareholder entitled to vote as aforesaid who, not being a company, is present in person or by proxy or who being a company is present by a duly authorised representative, or by proxy shall have one vote on a show of hands and in case of a poll shall have one vote for each share held by him as stated hereinabove in sub-regulation (i).

Explanation - For this Chapter, “Company” means any body corporate.

(iii) Shareholders of the Bank entitled to attend and vote at a general meeting shall be entitled to appoint another person (whether a shareholder or not) as his proxy to attend and vote instead of himself; but a proxy so appointed shall not have any right to speak at the meeting.

69. Voting by duly authorised representative-

(i) A shareholder, being the Central Government or a company, may by a resolution, as the case may be, authorise any of its officials or any other person to act as its representative at any general meeting of the shareholders and the person so authorised (referred to as a “duly authorised representative” in these regulations) shall be entitled to exercise the same powers on behalf of the Central Government or company which he represents, as if he were an individual shareholder of the Bank. The authorisation so given may be in favour of two persons in the alternative and in such a case any one of such persons may act as the duly authorised representative of the Central Government/company.

(ii) No person shall attend or vote at any meeting of the shareholders of the Bank as the duly authorised representative of a company unless a copy of the resolution appointing him as a duly authorised representative certified to be a true copy by the Chairman of the meeting at which it was passed shall have been deposited at the Head Office of the Bank not less than four days before the date fixed for the meeting.

ORIENTAL BANK OF COMMERCE

HEAD OFFICE: HARSHA BHAWAN, E-BLOCK, CONNAUGHT PLACE, NEW DELHI – 110001
CORPORATE OFFICE: PLOT NO.5, SECTOR-32, INSTITUTIONAL AREA, GURGAON-122001

ATTENDANCE SLIP-CUM-ENTRY PASS FOR EXTRAORDINARY GENERAL MEETING

Date : 3rd December 2013

Time : 10.00 a.m

Place: PHD Chamber of Commerce and Industry, PHD House, 4/2, Siri Institutional Area, August Kranti Marg, New Delhi-110016

ATTENDANCE SLIP

(To be surrendered at the time of entry)

NAME IN BLOCK LETTERS (Member/Proxy)	FOLIO/DPID/CLIENT ID NO.	No. of Shares

Signature of Shareholder/Proxy/Representative present

ENTRY PASS

NAME IN BLOCK LETTERS (Member/proxy)	FOLIO/DPID/CLIENT ID NO.	No. of shares

Shareholders/Proxy holders/Representatives are requested to produce this Attendance-slip-cum-Entry pass duly signed, for admission to the meeting hall. The Entry pass portion will be handed back to the shareholders/Proxy holders/Representatives, who should retain it till the conclusion of the meeting. The admission may, however, be subject to further verification/checks, as may be deemed necessary. Under no circumstances, will any duplicate Attendance slip-cum-Entry pass be issued at the entrance to the meeting hall.

P.S.: No gifts/gift coupons will be distributed at the meeting.

ORIENTAL BANK OF COMMERCE
Head Office : New Delhi – 110001
Corporate Office: Gurgaon - 122001

Regd. Folio No. ……..……
(If not Dematerialised)
DPID No……..……..……
Client ID No……..……
(If Dematerialised)

FORM 'B'

FORM OF PROXY

(To be filled in and signed by the shareholder)

I/We, _____Resident of _____ _____in the district of _____in the State of _____ _____being a shareholder/s of ORIENTAL BANK OF COMMERCE, hereby appoint Shri/Smt. _____resident of _____in the district of_____in the State of _____or failing him/her, Shri/Smt._resident of _____ _____ in the district of _____in the State of _____as my/our proxy to vote for me/us on my/our behalf at the EXTRAORDINARY GENERAL MEETING of the shareholders of the Bank to be held on Tuesday, the 3rd day of December 2013 at PHD Chamber of Commerce and Industry, PHD House, 4/2, Siri Institutional Area, August Kranti Marg, New Delhi-110016 and at any adjournment thereof.

Signed this_____day of _____ 2013.

Please affix Rupee 1 revenue stamp

Signature of the first holder/sole holder

Name :_____

Signature of the Proxy

Address: _____

INSTRUCTIONS FOR SIGNING AND LODGING THE PROXY FORM

1. The instrument of proxy to be valid,
 a. in case of an individual shareholder, shall be signed by him/her or by his/her attorney duly authorised in writing
 b. in the case of joint holders, shall be signed by the shareholder first named in the Register of Members or by his/her attorney duly authorised in writing
 c. in the case of a body corporate, shall be signed by its officer and executed under its Common Seal, if any, or otherwise signed by its attorney duly authorised in writing.
2. An instrument of proxy, in which the thumb impression of the shareholder is affixed, will be valid provided it is attested by a Judge, Magistrate, Registrar or Sub-Registrar of Assurances or any other Government Gazetted Officer or an officer of Oriental Bank of Commerce.
3. The proxy together with
 a. the power of attorney or other authority (if any) under which it is signed or
 b. a copy of that power of attorney or authority, certified by a Notary Public or a Magistrate, should be deposited at Corporate Office of the Bank at Plot No.5, Sector-32, Institutional Area, Gurgaon - 122001, not later than FOUR DAYS before the date of the Extraordinary General Meeting, i.e. on or before closing hours i.e. **5.00 p.m of Thursday, 28th November 2013.**
4. In case the relevant power of attorney is already registered with Oriental Bank of Commerce or its Share Transfer Agent, the registration number of the power of attorney and the date of such registration may be mentioned.
5. No proxy shall be valid unless it is duly stamped.
6. An instrument of proxy deposited with the Bank shall be irrevocable and final.
7. In the case of an instrument of proxy granted in favour of two grantees in the alternative, not more than one form shall be executed.
8. The shareholder who has executed an instrument of proxy shall not be entitled to vote in person at the meeting to which such instrument relates.
9. No person shall be appointed as duly authorised representative or a proxy who is an officer or an employee of Oriental Bank of Commerce.
10. No instrument of proxy shall be valid unless it is in Form "B".

बुक पोस्ट
Book Post

अवितरित होने पर कृपया निम्न पते पर लौटाएं:
If undelivered please return to:

ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स
ORIENTAL BANK OF COMMERCE
कॉरपोरेट कार्यालय : प्लॉट नं0 5, सैक्टर–32, इंस्टीट्यूशनल एरिया, गुड़गांव – 122001
Corporate Office: Plot No.5, Sector-32, Institutional Area, Gurgaon-122001

विषय सूची
Contents

सूचना	1
Notice	8
टिप्पणियां	2
Notes	9
व्याख्यात्मक कथन	2
Explanatory Statement	10
उपस्थिति पर्ची–सह प्रवेश पत्र	6
Attendance Slip Cum Entry Pass	14
प्रॉक्सी फार्म	7
Proxy Form	15